

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक : 10-10-2013

प्रेस-नोट

आयोग द्वारा दिनांक : 09.10.2013 को जारी प्रेस विज्ञापि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कनिष्ठ लिपिक परीक्षा, 2011 के सशोधित परिणाम के अन्तर्गत सशोधित प्राधिकरण क्रम भरने वाले अन्यथीगण को वर्तमान में इसके साथ कोई शुल्क जमा नहीं करना है। यह शुल्क संशोधन की अनुमति के उपरात देय होगा।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह सशोधित प्राधिकरण क्रम भरना ऐयिक है, अनिवार्य नहीं। जो अन्यथीगण संशोधित परिणाम के अन्तर्गत पूर्व विभाग की बजाए भिन्न विभाग में चयनित हो गये हैं और वे पूर्व विभाग में ही कार्यरत रहना चाहते हैं, उनके संबंध में पृथक से प्रशासनिक निर्णय लिया जाएगा।

(आर.सी.एल.मीण)
उप सचिव


() परीक्षा ग / क.सि. / रालोरोआ / 2011 / ५४५-५५०
प्रतिलिपि प्रेषित है :— विज्ञापन सम्बादक,

दिनांक : 10-10-2013

1. राजस्थान पत्रिका (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशन)
2. दैनिक नवज्योति (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशन)
3. दैनिक यास्कर (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशन)
4. राष्ट्रदृष्ट (राजस्थान राज्य के समस्त भंकरणों में प्रकाशन)
5. पंजाब लोरारी, अजमेर ६. महका भारत, अजमेर, ७. डेली न्यूज, जयपुर, ८. डंडी टीवी

को प्रेस-नोट की प्रति भेजकर निवेदन है कि उपर्युक्त प्रेस-नोट को आपके आने वाले नवीनतम दैनिक संस्करण में केवल एक बार निःशुल्क प्रकाशित करने की व्यवस्था करावें। तृप्या प्रकाशित सामग्री की जाति हेतु कटिंग की एक प्रति (निःशुल्क) निमालिखित परों पर सीधे ही भेजें ताकि प्रकाशित सामग्री की जांच की जा सके।

अनुमान अधिकारी, परीक्षा 'क' अनुमान, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर


सहायक सचिव